## वृद्धावस्था पेंशन योजना के विषय में।

- ऐसे आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो तथा जो गरीबी रेखा के नीचे हो या उनकी वार्षिक आय अधिकतम शहरी क्षेत्र में रू0 56460/- व ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/- तक हो, योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी में आते है।

- योजनान्तर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के पात्र आवेदक को रू0 500/- (रू0 300/-राज्यांश एवं रू0 200/-केन्द्रांश) एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र आवेदक को रू0 500/-(शत्-प्रतिशत केन्द्रांश) प्रतिमाह पेंशन धनराशि दी जाती है।

- आवेदक द्वारा http://sspy-up.gov.in वेब पोर्टल पर आनलाइन आवेदन किये जाने की व्यवस्था है।

- आवेदन हेतु आवेदक की रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो, जन्मतिथि/आयु प्रमाण-पत्र, पहचान प्रमाणपत्र (वोटर आई0डी0/राशन कार्ड/आधार कार्ड), बैंक पासबुक की छायाप्रति, आय प्रमाणपत्र भरना अनिवार्य है।

- आवेदक द्वारा भरे गये फार्म में आवेदक की फोटो साइज 20 के0बी0 से ज्यादा न हो। तथा अपलोड किये गये प्रपत्र पी0डी0एफ0 में 500 के0बी0 से ज्यादा न हो।

- योजना के क्रियान्वयन मे पारदर्शिता लाये जाने के उददेश्य से योजना के अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों का सत्यापन प्रत्येक वर्ष मे माह मई एव जून में कराया जाता है। सत्यापनोपरान्त चिन्हित मृतक एव अपात्र पेंशनरों को पेंशन सूची से हटाकर उनके स्थान पर नये लाभार्थियों का चयन किया जाता है।